158

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक 2722/II/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.08.2015 पारित द्वारा राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3090/III/2014 निगरानी

1– प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री फूलचन्द्र जैन,
2– प्रशांत पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र जैन,
निवासी – किशुनगढ़ तहसील विजावर,
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

अवधेश कुमार पुत्र बलदाऊ गोस्वामी,
निवासी – किशुनगढ़ तहसील विजावर,
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषकगण, आवेदकगण
अनावेदक श्रीमती रंजनी वशिष्ठ, अभिभाषक, अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक .19../08/2016)

यह पुनर्विलोकन आवेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 3090/III/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05.08.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत किशुनगढ़ द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 132/2 रकवा 7.57/3.63 आबादी भूमि में से 30 x 30= 900 वर्गफुट का पट्टा आवास हेतु आवेदक क्रमांक 1 को दिनांक 16.04.1994 से स्वीकृत किया गया था तत्पश्चात् इस भूमि पर सरपंच ग्राम पंचायत किशुनगढ़ से मकान निर्माण की विधिवत स्वीकृति ली जाकर दिनांक 02.10.2008 को निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था, इसके पश्चात भवन की प्रथम मंजिल का निर्माण ग्राम पंचायत की स्वीकृति के बाद किया गया। उपरोक्त स्वीकृति के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत अथवा कार्यवाही सक्षम न्यायालय में नहीं की है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भवन निर्माण की स्वीकृतियॉ अपने स्थान पर अंतिम हो गयी है। तहसीलदार मण्डल देवरा के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की गयी कि आवेदक क्रमांक 1 द्वारा खसरा क्रमांक 132/2क जिसका रकवा 3.063 हैक्टेयर है, के जुज रकवा 30 x 40 वर्गफुट पर कॉलम खड़े कर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, अतः निर्माण कार्य बन्द कराया जाये। तहसीलदार मण्डल देवरा के आदेश दिनांक 08.02.2013 पारित कर आदेश दिया कि आबादी भूमि खसरा क्रमांक 132/2 का रकवा में से 30 x 30 वर्गफुट ग्राम पंचायत किशुनगढ़ से भूमिस्वामी अधिकार का पट्टा आवेदक क्रमांक 1 को दिनांक 16.04.1994 को दिया गया है, जिसके पश्चात् निर्माण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त कर मकान का निर्माण कार्य किया गया है, ऐसी स्थिति में निर्मित मकान पर संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती, अतः प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर समाप्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा बताया गया कि आवेदकगण द्वारा किशुनगढ में स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 134 पर अवैध कब्जा कर भवन निर्माण किया जा रहा है, जिससे शासन की लाखों रूपये की भूमि का अनुचित लाभ लिया जा रहा है, अतः शासकीय भूमि पर निर्मित भवन गिराया जाये तथा

आवेदकगण के विरूद्ध अपराध कायम कर, उन्हें जेल भेजा जाये तथा आदेश दिनांक 23.06.2014 को भवन निर्माण पर आगामी आदेश तक रोक लगाये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया, जो पारित आदेश दिनांक 05.08.2015 से निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष पुर्नाविलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3– प्रकरण में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया, उसमें कई वैधानिक त्रुटियॉं भूले रह गयी है, जिसके कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुर्नाविलोकन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो आदेश दिनांक 23.06.2014 को पारित किया है, वह अधिकारितारहित है क्योंकि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में किये गये नवीन संशोधन के अनुसार संहिता की धारा 52 में स्थगन आदेश आगामी आदेश तक नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अधिकारितारहित आदेश है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा विचार किये बिना आदेश पारित किया है, जो अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है, इसलिए माननीय न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

आवेदकगण अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि आवेदक के हित में तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से भूमिस्वामी अधिकार का पट्टा दिनांक 16.04.1994 को स्वीकृत किया था, जिसके पश्चात् भवन निर्माण की विधिवत अनुमति दिनांक 02.10.2008 एवं 18.11.2012 को प्राप्त कर भवन निर्माण कराया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, अतः पट्टा आदेश एवं भवन निर्माण की स्वीकृतियॉं अपने स्थान पर अंतिम हो गयी है। ऐसी स्थिति में शिकायत के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। उपरोक्त स्थितियों पर माननीय न्यायालय द्वारा विचार किये बिना जो आदेश पारित किये हैं, वह त्रुटिपूर्ण होने

से संशोधन योग्य है। अतः पुर्नाविलोकन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4– अनावेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया गया कि उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश दिनांक 05.08.2015 पारित किया है, जिसमें विरूद्ध पुर्नाविलोकन प्रस्तुत किया गया है, जो बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 23.06.2014 से स्थगन आदेश आगामी आदेश तक जारी किया है, जबकि भू–राजस्व संहिता में किये गये नवीन संशोधन के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी को आगामी आदेश तक स्थगन आदेश जारी करने का अधिकार ही नहीं है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी की कार्यवाही प्रथमदृष्टया अधिकारितारहित है। इस तथ्य पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 05.08.2015 में विचार नहीं किया गया है, जो अभिलेख से स्पष्ट है। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 984/2016 प्रस्तुत की थी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2016 को आदेश पारित कर कलेक्टर, छतरपुर को निर्देशित किया था कि वह उपरोक्त प्रकरण में कार्यवाही करें। जिसके पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन दिनांक 08.03.2016 प्रस्तुत कर बताया कि वर्तमान प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल से यथास्थिति का स्थगन आदेश है। भूमि खसरा नम्बर 132/2 पर प्रकाश चन्द्र जैन, निवासी किशुनगढ का कोई अतिक्रमण नहीं है। उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट है कि आवेदकगण का अवैध अतिक्रमण नहीं है, ऐसी स्थिति में शिकायत के आधार पर जो कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा की जा रही

है, वह त्रुटिपूर्ण है। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। अनुविभागीय अधिकारी अपीलीय न्यायालय है, जिसमें विचारण न्यायालय की कार्यवाही को अपील में चुनौती दी जाती है ना कि शिकायत के आधार पर, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रारम्भ की गयी कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधिवत् सम्मत् नहीं पाता हूँ अतः प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर पारित आदेश दिनांक 23.06.2014 विधिवत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणाम स्वरूप पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, देवरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2013 स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर